RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

भारतीय राजनीतिक चिंतन की ज्ञान परंपरा में सुशासन

*सौरभ कुमार पाण्डेय

शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग , जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

सारांश:

भारत में सुशासन की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसके पर्याप्त साक्ष्य देखने को मिलते हैं जहां शासन को केवल प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक **नैतिक और सामाजिक दायित्व** के रूप में देखा गया है। वेद, उपनिषदिक और मनु तथा कौटिल्य के विचारों में शासन का उद्देश्य **प्रजा-कल्याण और धर्म-पालन** बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिक विचारकों ने राजा-प्रजा के संबंध, न्याय, नीति और लोककल्याण के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। यह केवल आधुनिक प्रशासन तक सीमित नहीं है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में 'राजधर्म' और 'सुशासन' की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। आज जब शासन तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकहित सर्वोपरि माने जाते हैं, तब भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित शासन-सिद्धांतों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। कौटिल्य, मनु, बौद्ध परंपरा, महाभारत और उपनिषदों में वर्णित राजधर्म आधुनिक "Good Governance" की मूल आत्मा से मेल खाता है।

इस शोध-पत्र में भारतीय राजनीतिक चिंतन के उन तत्वों का विश्लेषण किया गया है जो वर्तमान शासन व्यवस्था में सुशासन के आधार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य प्राचीन नैतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों को समझकर आज के सुशासन के मॉडल में उनका योगदान दिखाना है।

Article Publication

Published Online -November 2025

Corresponding Author

सौरभ कुमार पाण्डेय

शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग ,

जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Email- saurabhjncu@gmail.com

© 2025 - published by *Vidhina*

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0

मुख्य शब्द: राजनीतिक चिंतन, सुशासन, राजधर्म, कौटिल्य, लोककल्याण, लोकहित, प्रशासनिक कार्य

1.प्रस्तावना:

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी" जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्याकाण्ड से है और इसका भाव यह है कि एक शासक या नेता का कर्तव्य अपनी प्रजा के सुख-दुख का ध्यान रखना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में यह अवधारणा बहुत पुरानी है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में शासन के नैतिक और सामाजिक दायित्वों का विस्तृत विवरण मिलता है। सुशासन या Good Governance केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है। इसमें नैतिकता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, न्याय और लोककल्याण जैसे तत्व भी शामिल हैं।

प्राचीन भारतीय समाज में राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना था। आधुनिक भारत में लोकतंत्र और प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में, इन प्राचीन सिद्धांतों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शासन को अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बना सकता है।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

भारत की राजनीतिक परंपरा केवल सत्ता या प्रशासन की अवधारणा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसमें "राजधर्म" और "लोककल्याण" जैसे मूल्यों का विशेष स्थान रहा है। जहाँ पश्चिमी शासन-दर्शन व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान देता है, वहीं भारतीय चिंतन में शासन का लक्ष्य सामूहिक कल्याण और नैतिक आचरण रहा है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में "सुशासन" (Good Governance) केवल नीतिगत नहीं बल्कि संस्कारजन्य अवधारणा रही है जिसका आधार धर्म, नीति और सेवा है।

2.भारतीय राजनीतिक चिंतन का ऐतिहासिक विकास

ऋग्वेद में राजा को "प्रजा का रक्षक" कहा गया है, जो शासन की नैतिक और उत्तरदायी भूमिका को स्पष्ट करता है। महाभारत के शांति पर्व में "राजधर्म" का विस्तार हुआ, जिसमें शासन को धर्म, न्याय और प्रजा-हित का प्रतीक बताया गया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में शासन के लिए नैतिक मर्यादाओं और प्रशासनिक उत्तरदायित्व का विस्तार मिलता है।
भारतीय राजनीतिक चिंतन का आरंभ वैदिक संहिताओं से होता है। ऋग्वेद में "राजा" को प्रजा का रक्षक बताया गया है। उपनिषदों में शासन को धर्म का उपकरण माना गया। महाभारत के शान्ति पर्व में "राज धर्म" का विस्तार मिलता है, जो शासन को न्याय, नैतिकता और प्रजा-कल्याण से जोड़ता है।
मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में शासन के लिए नैतिक संहिता तथा प्रशासनिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कौटिल्य का "अर्थशास्त्र" शासन की दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से अनूठी रचना है। कौटिल्य के अनुसार, राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है। यह सुशासन के सिद्धांत का प्रारंभिक और गहन दार्शनिक रूप है।

"प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥

प्रजासुखे सुखं राज्ञः: राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है।
प्रजानां च हिते हितम्: प्रजा का जो हित है, वही राजा का हित है।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः: राजा के लिए कोई भी वस्तु व्यक्तिगत रूप से हितकर नहीं है।
प्रजानां तु प्रियं हितम्: राजा का हित तो उसी में है जो प्रजा को प्रिय और हितकर हो।

बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी शासन को "अहिंसा", "करुणा" और "समान आचरण" पर आधारित माना गया है। इस प्रकार भारतीय शासन परंपरा में नैतिकता और लोककल्याण दोनों का संतुलन प्रमुख तत्व रहा है।

3.सुशासन की अवधारणा:

भारतीय परंपरा में सुशासन को **राजधर्म** कहा गया है, अर्थात् शासन का धर्म। इसका अर्थ है कि राजा की नैतिक और दायित्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र और प्रजा के कल्याण में निहित हो। वेद, उपनिषद, महाभारत (शांति पर्व), रामायण, नीति-सार और कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुशासन की मूल संकल्पनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

महाभारत में कहा गया है कि अच्छा शासन वही है जो **प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखे** और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करे।

मनु का दृष्टिकोण

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की ज्ञान परंपरा में मनु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र पर लिखा ग्रंथ है जिसमें विभिन्न स्थानों पर राज्य शास्त्र और राजनीति का भी यथावसार स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मनुकालीन भारत में सम्पूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिन्दु धर्म ही था जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और न्यायिक तथा नैतिक व्यवस्था के सूत्र समाहित थे।

मनुस्मृति में सुशासन का मतलब राजा का 'धर्म' के अनुसार शासन करना है, जहाँ वह राजधर्म का पालन करता है। इसके तहत राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे, न्याय व्यवस्था स्थापित करे और दण्ड के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखे। राजा को स्वयं भी नैतिक और संयमित जीवन जीना चाहिए।

कौटिल्य का दृष्टिकोण

भारतीय राजनीतिक चिंतन की ज्ञान परंपरा में सुशासन पर सबसे सुसंगठित विचार *कौटिल्य के* अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अनुसार, "राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है।" यह कथन सुशासन की उस मूल भावना को प्रकट करता है, जिसमें **राजा को सेवक**, न कि स्वामी, माना गया है।
डॉ. एक्स.सी. वर्मा और डॉ. एस. फुजातु (2022) के शोधपत्र "भारतीय संस्कृति में कौटिल्य का सुशासन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" में कौटिल्य के शासन-दर्शन को सुशासन के आधुनिक सिद्धांतों से जोड़ा गया है। वे बताते हैं कि कौटिल्य का राज्य **न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और जनकल्याण** के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका राज्य एक **लोककल्याणकारी राज्य (Welfare State)** था, जो आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण के "Accountability" और "Transparency" के समान है।
कौटिल्य के शासन-दर्शन में भ्रष्टाचार-निवारण, प्रशासनिक नैतिकता, और दंडनीति जैसे तत्व भी आज के "Good Governance Indicators" से मेल खाते हैं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुशासन का व्यावहारिक नमूना मिलता है। इसके अनुसार, एक कुशल राजा के गुण हैं – **न्याय, पारदर्शिता, जनकल्याण (योगक्षेम), और उत्तरदायित्व**। कौटिल्य का शासन मॉडल केवल सत्ता पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और नैतिकता पर केंद्रित था।

महाभारत के शांति पर्व में सुशासन

महाभारत के शांति पर्व में सुशासन के लिए राजधर्म पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें राजा को प्रजा के कल्याण, सत्य, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि एक शासक को न तो बहुत कठोर और न ही बहुत दयालु होना चाहिए, बल्कि शरद ऋतु के सूर्य की तरह संतुलित होना चाहिए। इसमें बुद्धिमान सलाहकारों से सलाह लेना, प्रजा की राय का सम्मान करना और दंड का विवेकपूर्ण उपयोग करना भी शामिल है।

बौद्ध एवं जैन धर्म में सुशासन

बौद्ध धर्म के उदय के उपरांत भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक नया मोड देखने को मिलता है। इसके पूर्व की सभी व्यवस्थाएं ईश्वरीय सत्ता को मनाने वाली थीं और वर्ण व्यवस्था पर आधारित थीं। किन्तु बौद्ध धर्म निरीश्वर वादी था और जाति वर्ण व्यवस्था के खंडन पर आधारित था। इनके अनुसार देश का कानून बनाने का अधिकार राजा को होना चाहिए जबकि इसके पूर्व राजा को केवल कानून का संरक्षक माना गया न कि निर्माता , और जैन परंपराओं में शासन को अहिंसा, समानता और करुणा पर आधारित माना गया है। इस काल में भी शासन को लोकहित से जोड़ा गया और धर्म-आधारित नैतिकता को शासन की आत्मा बताया गया।

4.सुशासन की आधुनिक अवधारणा

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

1992 में विश्व बैंक ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट "शासन और विकास" में सुशासन (Good Governance) की अवधारणा स्पष्ट की। इसमें सुशासन को इस रूप में समझाया गया कि किसी देश में आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार और कितनी कुशलता से किया जाता है। यही सुशासन का मूल आधार है। विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएँ होती हैं –

1. **भागीदारी (Participation) :** नागरिकों की शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी।

2. **सर्वसम्मति-निर्माण (Consensus Orientation):** विभिन्न हित समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित कर निर्णय लेना।

3. **जवाबदेही (Accountability):** सत्ता में बैठे व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना।

4. **पारदर्शिता (Transparency):** शासन की नीतियों और निर्णयों का खुला एवं स्पष्ट होना।

5. **उत्तरदायित्व (Responsiveness):** सरकार का जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना।

6. **दक्षता एवं प्रभावशीलता (Efficiency and Effectiveness):** संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए परिणाम प्राप्त करना।

7. **न्यायसंगतता एवं समावेशिता (Equity and Inclusiveness):** समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना।

8. **कानून के शासन का पालन (Rule of Law):** सभी पर समान रूप से कानून का लागू होना और न्याय की सुनिश्चितता।

सुशसन की अवधारणा में कहा जाता है कि "Good governance is less governance" अर्थात अच्छा शासन वही है जहां कम शासन है। सुशासन वह व्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार न्यूनतम होता है, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के विचारों को महत्व दिया जाता है, तथा निर्णय प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर समूहों की आवाज सुनी जाती है। इसके साथ ही, यह शासन प्रणाली समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों के प्रति भी सजग और उत्तरदायी रहती है।

5. आधुनिक भारत में सुशासन

भारतीय संविधान और लोकतंत्र ने सुशासन को नवीन रूप दिया। संविधान की प्रस्तावना में "न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व" की जो बातें हैं, वे प्राचीन ज्ञान परंपरा के ही अनुवाद हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय आधारित लोकतंत्र की परिकल्पना प्रस्तुत की। गांधी के "रामराज्य" में शासन का आदर्श लोकहित, समानता और नैतिकता पर आधारित था।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसे "समग्र मानवता" की दिशा में विस्तारित किया । आधुनिक प्रशासनिक सुधार आयोगों (ARC) ने सुशासन को नागरिक-केंद्रित प्रशासन, ई-गवर्नेंस और जन-सहभागिता के रूप में परिभाषित किया। भारतीय शासन के ये आधुनिक तत्व, प्राचीन तत्वों का समकालीन रूप हैं। जैसे कौटिल्य का "प्रजा-सुख" आज की "लोक-केंद्रित नीति" बन गया है। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने *"रामराज्य"* की परिकल्पना के माध्यम से नैतिक शासन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें शासन का लक्ष्य "लोककल्याण" और "नैतिकता" है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय आधारित शासन की रूपरेखा दी। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवदर्शन में शासन को समग्र मानव कल्याण और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में कार्य करने वाला माना गया है। आधुनिक भारत में सुशासन का स्वरूप **संविधान, लोक प्रशासन सुधार और लोकतांत्रिक संस्थाओं** में देखा जा सकता है।

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व सुशासन के सैद्धांतिक आधार हैं।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

- 1951 की गोरावाला समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने सुशासन को **स्वच्छ, कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित** प्रशासन के माध्यम से परिभाषित किया।

भारतीय राजनीतिक चिंतन में सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं है, बल्कि **नैतिक दायित्व** भी है। यह दृष्टिकोण राज्य को **सेवा** के रूप में देखता है और नागरिक तथा शासक दोनों को समान रूप से उत्तरदायी मानता है। सुशासन का सार है – **लोककल्याण, पारदर्शिता, नैतिकता और आत्मनिर्भरता।**

- **परिभाषा:** सुशासन का अर्थ है वह प्रशासन और शासन प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, न्याय और लोककल्याण की पूर्णतः प्राप्ति हो। सुशासन का मुख्य उद्देश्य समाज में संतुलन और समृद्धि स्थापित करना है।
- **आधुनिक दृष्टिकोण:** UNDP (1997) के अनुसार Good Governance में प्रभावी प्रशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, न्याय और नागरिक सहभागिता प्रमुख हैं। आज के प्रशासनिक ढांचे में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **भारतीय परंपरा:** भारतीय दृष्टिकोण में सुशासन धर्म और नीति पर आधारित होता है, जिसमें राजा और प्रजा के संबंध का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजधर्म के सिद्धांतों के अनुसार, राजा को न केवल न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए।

6.भारत में सुशासन से संबंधित प्रमुख पहलें

- **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :** नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच देकर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को बढ़ावा देता है।

- **ई-शासन (E-Governance) :** डिजिटल इंडिया, प्रगति, एमसीए21, पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से सेवाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया गया।

- **विकेन्द्रीकरण (Decentralization) :** योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना; 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की कर हिस्सेदारी 42% की गई।

- **कानूनी सुधार:** लगभग 1,500 पुराने कानून समाप्त किए गए; आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी हैं।

- **व्यवसाय में सुगमता (Ease of Doing Business) :** जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलें निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करती हैं।

- **पुलिस सुधार :** पुलिस का आधुनिकीकरण, ई-एफआईआर प्रणाली और राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर की शुरुआत।

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) :** 115 पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कौशल विकास पर ध्यान।

- **सुशासन सूचकांक (GGI) :** 2019 में लॉन्च; राज्यों में शासन की गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

7.सुशासन की प्रमुख चुनौतियाँ

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

• **राजनीति का आपराधीकरण:** 2019 की लोकसभा में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे राजनीति की साख और शासन की नैतिकता प्रभावित हुई है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन आवश्यक है।

• **भ्रष्टाचार:** प्रशासनिक ढाँचे में पारदर्शिता की कमी और दंड प्रक्रिया की कमजोरियाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की स्थिति 80वें स्थान पर रही।

• **लैंगिक असमानता:** महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा भाग होते हुए भी शासन और नीति-निर्माण में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पा रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण सुशासन के लिए अनिवार्य है।

• **बढ़ती हिंसा:** कानून-व्यवस्था की अस्थिरता और हिंसा की घटनाएँ विकास एवं सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं। शांति और सुरक्षा सुशासन की आधारशिला हैं।

• **न्याय में देरी:** मुकदमों की अधिकता, न्यायाधीशों की कमी और धीमी प्रक्रिया के कारण आम नागरिक को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

• **प्रशासनिक केंद्रीकरण:** स्थानीय शासन संस्थाएँ जैसे पंचायतें, पर्याप्त अधिकार और संसाधन न मिलने के कारण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पातीं।

• **सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन:** संविधानिक प्रावधानों के बावजूद समाज के वंचित वर्ग शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसरों से अब भी वंचित हैं।
यह सभी चुनौतियाँ भारत में सुशासन की स्थापना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बनकर सामने आती हैं।

8. निष्कर्ष :

भारतीय राजनीतिक चिंतन की ज्ञान परंपरा में सुशासन का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि शासन केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, न्याय, नीति और लोकहित का संतुलन होना आवश्यक है। प्राचीन भारतीय परंपरा और आधुनिक प्रशासन के बीच संबंध स्थापित करने से एक सुदृढ़ और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली विकसित की जा सकती है। नीति निर्माताओं और प्रशासकों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित नैतिक और सामाजिक मूल्यों को अपनाएँ। इसके माध्यम से शासन अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण बन सकता है।

9.संदर्भ सूची (References)

1.गाबा, ओ. पी. (2014). राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा. नई दिल्ली:मयूर पेपरबैक
2.मिश्रा, राजेश. (2020). राजनीति विज्ञान: एक समग्र अध्ययन (7वाँ संस्करण). ऑरियांट ब्लैकस्वान
3.गाबा, ओ. पी. (2015). राजनीति विज्ञान विश्वकोश (3रा संस्करण). मयूर पेपरबैक
4.मिश्रा, कौशल किशोर. (2023). रामराज्य. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
5.मिश्रा, कौशल किशोर एवं सिंह, रक्षा. (2021). वाल्मीकि रामायण में राम-राज्य. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
6.प्रसाद, रविन्द्र एवं प्रसाद, बी. एस. (2010). *प्रशासनिक चिंतन*, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 25–26।

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.161-167

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

7. *कौटिल्य अर्थशास्त्र के राजधर्म संबंधी नीतिवचन*, (20 दिसम्बर 2014)।
Retrieved from https://thethaluaclub.wordpress.com/category/chanakya-niti/
Accessed on July 14, 2022.
8. *कौटिल्य के प्रमुख विचार – सप्ताङ्ग सिद्धांत / मंडल सिद्धांत*, (01 अगस्त 2020)।
Retrieved from https://www.mppscexams.com/2020/08/kautilya-mandal-siddhant.html
Accessed on July 14, 2022.
9. गुप्ता, पंकज. (4 मार्च 2022). *कौटिल्य के चिंतन में विविधत सुशासन की संकल्पना*।
Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601953
Accessed on July 14, 2022.
10. दृष्टि आईएएस। सुशासन (Good Governance)। स्रोत: https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper4/good-governance-2
11. *सुशासन बनाम भ्रष्टाचार – प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण (विशेषतः कौटिल्य अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में)*, (21 दिसम्बर 2006)।
Retrieved from https://www.khabarexpress.com/Sushasaan-Vs-Bhastachar-article_73.htm
Accessed on July 14, 2022.
12. माहेश्वरी, आर. एवं अवस्थी, आर. (2016). *भारतीय प्रशासन*, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ 04।